Export by Mls. Pepsi Limited

2611. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in Hindustan Times dated 23rd July, 1992 captioned "Pepsi's thrust on exports this year";

(b) if so what are the products indicating the new brands in beverages and snack foods which the Pepsi Foods Limited would be launching this year which may coincide with the launch of Coco-Cola in th3 Indian Market, indicating its distribution net work untouched previously in India; and

(c) whether Pepsi has tied up with any Indian complany for supplying used P&T bottles of Pepsi from USA for recycling; if so, the details thereof and profit likely to accrue to Pepsi thereby?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PRO CESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO); (a) Yes, Sir.

(b) As reported by the Company, Mls. Pepsi Foods Limited plans to introduce two new drinks by the next season. New brand launches in snack foods are at a preliminary stage (and are expected to firm up towards the year end.

(c) Yes, Sir. Pepsi Food Limited hag tied up with Indian Organic Che micals Limited, Madras, for proces sing used PET bottles from USA to produce PSF (Polyester Staple Fibre). Trials for the same have started. It is too early to determine Profits.

देश की खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता

2612. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में फल और सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में इन फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण की कुल कितनी क्षमता स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) भारत में फलों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में सब्जियों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन भी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर सामान्यत: विभिन्न बाधाओं का सामना करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाओं में अपर्याप्ततायें, निश्चित क्षेत्रों में प्रसंस्करण सुविधायें, लम्बी अवधि तक फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण योग्य किस्म की उपलब्धता शामिल हैं। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विकास/विस्तार हेतु राज्य सरकार उपक्रमों/सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों/सहायित सेक्टर/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के

लिए प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों हेतु औद्योगिक नीति उदार बनाने और अनिवार्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा सरकार ने विभिन्न योजना स्कीमें भी तैयार की हैं। आधारभूत सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यद्यपि आठवीं योजना के दौरान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं परन्तु फल एवं सब्जी उद्योगों की संस्थापित क्षमता 9.5 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन प्रतिवर्ष होने की आशा की जाती है।

आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा निपटाये गए मामले

2613. श्री राजूभाई ए० परमार : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर सम्बन्धी लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को कहां-कहां भेजा गया था; और

(ख) उन्होंने दौरों पर जाकर कितने मामलों का निपटान किया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) आय-कर अपील अधिकरण के सदस्यों को पिछले दो वर्षों के दौरान दौरे पर निम्नलिखित स्थानों पर भेजा गया था :-

मुंबई, नागपुर, पुणे, मद्रास, कोचीन, बंगलौर, कलकत्ता, पटना, कटक, इलाहाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, इन्दौर, जबलपुर, अमृतसर, नासिक, बेलगांव, कानपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ और रांची।

(ख) दौरों की इस अवधि के दौरान आय-कर अपील अधिकरण के सदस्यों ने 8818 मामले निपटाए।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की खण्ड पीठ

2614. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक खण्ड पीठ स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Companies Promoted by Harshad Mehta

2615. SHRI SUSHIL. KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the companies promoted by Shri Harshad Mehta and his family members with their dates of incorporation;

(b) whether these companies submitted' their annual reports audited profit and loss accounts and balance sheets since their incorporation; and

(c) names of the auditors of the above mentioned companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) *A* satement to ansexed.